कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य / साप्र–II / डी–2 / विविध / 2021–22 / 90 दिनांकः– 13.03.2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, राजस्थान।

विषय– राजकीय विद्यालयों / कार्यालय भवनों पर हुए अतिक्रमण की सूचना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यह देखने में आया है कि विभाग के विभिन्न राजकीय विद्यालयों तथा कार्यालयों भवनों की ठीक से देखभाल के अभाव में विभिन्न समाज कंटकों द्वारा विभाग की भूमि एवं भवनों पर अतिक्रमण किया जाता रहा है। इस संबंध में संबंधित संस्था प्रधानों के साथ–साथ राज्य के जागरूक नागरिकों से भी अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त होती रही हैं।

<u>साक्ष्यों सहित यह अवगत करावें कि</u> :–

1. अतिक्रमण के संबंध में अब तक आपके जिले में कुल कितने प्रकरण प्राप्त हैं? (जनसाधारण के प्रार्थना–पत्र सहित) संस्थावार पूर्ण विवरण देवें।
2. उन विद्यालयों / कार्यालयों में किन–किन स्थानों पर एवं कितना क्षेत्र अतिक्रमित है? (क्षेत्रफल)
3. उस विद्यालय / कार्यालय अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु आप द्वारा एवं संबंधित संस्था प्रधान द्वारा अब तक क्या–क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है? वर्तमान् में कितने विद्यालयों एवं कार्यालयों को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया है? एवं कितने विद्यालय एवं कार्यालयों में अब भी अतिक्रमण बरकरार है? विद्यालयवार / कार्यालयवार पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध करावें।
4. अतिक्रमित विद्यालय / कार्यालय का सीमांकन करवाया गया है अथवा नहीं? नहीं तो क्यों?
5. इस संबंध में आप, संस्था प्रधान एवं अन्य विभिन्न स्तर पर अतिक्रमित विद्यालय / कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग लिया गया? विद्यालयवार / कार्यालयवार पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध करावें।
6. अतिक्रमण से संबंधित कितने प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं? उनकी न्यायालय में वर्तमान् में क्या स्थिति है? याचिका संख्या सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें।
7. कितने प्रकरणों में विभाग के पक्ष में फैसला हुआ एवं कितने प्रकरणों में विभाग के विरूद्ध फैसला हुआ? वाद सहित विवरण उपलब्ध करावें।
8. यदि विभाग के विरूद्ध फैसला हुआ है तो इसके क्या कारण रहे एवं इसके लिए विभाग के कौन–कौन से अधिकारी / कार्मिक दोषी हैं? पूर्ण विवरण देवें।

<u>इस संबंध में समस्त साक्ष्यों सहित निम्नानुसार भी अवगति देवें</u> :–

क्र. सं.	अतिक्रमित विद्यालय / कार्यालय का पूरा नाम व पता (संस्था प्रधान का नाम एवं दूरभाष नंबर भी देवें)	अतिक्रमित स्थान का विवरण	की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण पत्र क्रमांक / दिनांक सहित	अतिक्रमण की वर्तमान् स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा परिषद, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग, राजस्थान को अतिक्रमण प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, राजस्थान।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग, कार्यालय हाजा को शाला दर्पण के माध्यम से समस्त राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सूचना प्रेषित करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर जारी करने हेतु।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजस्थान को विभागीय वेबसाईट एवं शाला दर्पण के माध्यम से प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Dharmendra Kumar Joshi
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.13 11:26:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3342013

Rajasthan Education Department